



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072020-220394
CG-DL-E-06072020-220394

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1973]
No. 1973]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2020/ आषाढ़ 15, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2020/ASADHA 15, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2020

का.आ. 2230(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) नियम 1964 का नियम -3 के साथ पठित निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा-3 में प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार की दिनांक 28 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या. का.आ. 1765 (अ) में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

क्रम संख्या	नाम और पदनाम	
(1)	(2)	
“ 1.	श्री एस.किशोर, अपर सचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली	अध्यक्ष

[फा. सं. के-16012/45/2017-निर्यात निरीक्षण]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोट: मूल अधिसूचना दिनांक 28 मई, 2020 की अधिसूचना संख्या. का.आ. 1765 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2020

S.O. 2230(E).—In exercise of the powers under Section 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) read with rule 3 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964, the Central Government hereby makes the following amendment in the Notification of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, (Department of Commerce) number S.O. 1765(E) dated the 28th May, 2020 namely: -

In the said Notification, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely; -

Serial Number.	Name and Designation	
(1)	(2)	
“1.	Shri S. Kishore, Additional Secretary Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi.	Chairman

[F. No. K-16012 /45/2017-Export Inspection]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note: - The principal notification was published *vide* notification number 1765(E) dated the 28th May 2020